म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल का न्यूज लेटर

जैव विविधता

अंक : 1-2

जनवरी-जून, 2020

संपादकीय

श्री आर श्रीनिवास मूर्ति
सदस्य सचिव

जैवविविधता अधिनियम, 2002, जैवविविधता नियम, 2004 एवं जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 (विनियम, 2014) के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन, जैवसंसाधनों का संवहनीय उपयोग तथा लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन के क्रियान्वयन हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन/पुर्नगठन/सक्रियकरण किया जाना नितांत आवश्यक है।

जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ राज्य जैवविविधता बोर्ड की नींव है। मजबूत नींव से ही मजबूत इमारत का निर्माण संभव है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 (1) एवं मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के भीतर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा।

इसके साथ ही जैवविविधता नियम, 2004 (केंद्र) नियम 22 (6) अनुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता पंजी तैयार किया जाना प्रावधानित है। पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी भी अन्य पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी सम्मिलित होती है। नियम 22 (8) -लोक जैव विविधता पंजी के प्रपत्रों में Digital and Dynamic इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार किया जाना प्रावधानित है एवं नियम 22 (10) -जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी संधारित (Maintained) किया जायेगा और उसे विधिमान्य (Validated) किया जायेगा। मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 नियम 23 (9) जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण प्रावधानित है। बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम 23(12) के प्रावधानो के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति को लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण में मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान किया जाना हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 के पालन में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर शत-प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समितियो का गठन तथा लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का निर्णय प्रदेश की जैवविविधता संरक्षण में सहायक होगा। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय आवास एवं विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को अथवा उनकी प्रशासकीय समितियों को जैवविविधता प्रबंधन समितियों को उनके कर्तव्य निर्वहन हेतु आदेशित किया गया है।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकारण के दिशानिर्देश एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 17वीं बोर्ड बैठक के निर्णय अनुसार तथा कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा सेकंडरी डाटा के आधार पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण (People's Biodiversity Register- PBR) का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया है। इस कार्य में स्थानीय निकाय, मैदानी स्तर के जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा इस कार्य में तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है। डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को सेकंडरी डाटा की प्राप्ति उपरांत अथवा प्राथमिक डाटा के आधार पर निरंतर अपडेट किया जाना सतत् प्रक्रिया है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002, जैवविविधता नियम, 2004 जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 (विनियम, 2014) के प्रावधान अनुसार अंतर्गत प्रदेश में विगत 4 वर्षो में लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इस दिशा में स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जैवसंसाधनों आधारित लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन के क्रियान्वयन में जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है जिससे की जैवविविधता अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का फायदा प्रदेश में उपलब्ध जैवविविधता एवं जैवसंसाधनों के संरक्षण के हेतु किया जा सके।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं लोक शिक्षण, संचालनालय, मध्यप्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जैवविविधता क्विज कार्यक्रम-2019 का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया था। जिसमें प्रत्यक्ष और 3,23,256 सोशल मीडीया के माध्यम से 3,96,459 कुल 7,19,715 भागीदारी रही। यह क्विज़ कार्यक्रम अप्रत्याशित व उत्कृष्ठ श्रेणी का था। इस कारण यह कार्यक्रम निरंतर आयोजित किया जाना का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वर्ष कोविड-19 के परिस्थितियों के कारण मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज़ कार्यक्रम-2020 का आयोजन आनलाईन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुये इसे राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ., तथा डब्ल्यू. आई.आई., तथा सी.बी.डी. जैसे राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय संस्थाओ से जोडा जा रहा है। क्विज़ कार्यक्रम को मोगली बाल उत्सव में भाग लेने हेतु पात्रता के रुप में भी स्थापित किया जायेगा। क्विज़ कार्यक्रम के माध्यम से बायोडावर्सिटी लीडर, बायोडावर्सिटी फेलो, बायोडावर्सिटी एंबेसेडर, बायोडावर्सिटी स्टार पहचाने जावेगे और इनके माध्यम से जैवविविधता अधिनियम, 2002 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता प्रबधंन समितियों का सशक्तिकरण किया जायेगा।

आशा है कि कोविड और जैवविविधता के मध्य संबंधों को समझकर प्रदेश में जैवविविधता प्रबंधन समितियो द्वारा स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिये लोक जैवविविधता पंजी के आधार पर प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी एवं लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन के माध्यम से जैवविविधता सरंक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जायेगा।

शुभकामनाओं सहित ।

आर. श्रीनिवास मूर्ति
सदस्य सचिव

1.शोध एवं दस्तावेजीकरण

1.1 लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण-

लोक जैवविविधता पंजी में पंचायत में विद्यमान सभी जैव संसाधनों, स्थानीय संस्कृति, बाजार इत्यादि की जानकारी होती है, जो कि जैवविविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से बनाई जाती है। बोर्ड द्वारा अद्यतन 890 लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया गया था।

मान. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 के निर्णय के पालन में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकायों पर इस परिप्रेक्ष्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तर (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत) 23179 एवं नगरीय एवं आवास विभाग द्वारा 378 प्रदेश में समस्त निकाय स्तर पर शत-प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी का कुल 23557 निर्माण किया जाना है।

1.1.1 जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण-

इस परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा लोक शिक्षण विभाग अन्तर्गत विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग अन्तर्गत महाविद्यालयों के सहयोग से प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (जनपद पंचायत) पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण

कार्य प्रारंभ् किया गया है। प्रथम चरण में 150 जनपद पंचायत स्तर पर पंजी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अद्यतन स्थिति तक 86 जनपद पंचायतों में विद्यालय एवं महाविद्यालयों को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है।

1.1.2 लोक जैवविविधता पंजी निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम–

लोक जैवविविधता पंजियों का निर्माण किया जाना है। पंजी निर्माण का कार्य विद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापक/प्राध्यापको (पी.आई एडं को–पी.आई) द्वारा संपादित किया जाना है। इस कार्य को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पी.आई (Project Investigator) एडं को–पी.आई (Co-Project Investigator) को विषय विशेषज्ञों द्वारा में भोपाल में निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं प्रशिक्षणार्थियों को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु हिंदी एवं अंगेजी में मेन्यूअल प्रदान किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्रमांक	प्रशिक्षण का दिनांक	पी.आई तथा को–पी.आई की संख्या	प्रशिक्षण में सम्मिलित जनपद पंचायत (जिला) की संख्या
1	10–11.02.2020	101	61 जनपद (26 जिले)
2	12–13.03.2020	19	12 जनपद (09 जिले)

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2020 को नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में पी.आई एवं को–पी.आई का प्रथम दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निम्नानुसार विभागीय अधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं 26 जिलो के 61 जनपद के 101 पी.आई एडं को–पी.आई प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, सदस्य सचिव एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा पीबीआर निर्माण के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में अवगत कराया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया के पीबीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर उस क्षेत्र की जैवविविधता प्रबंधन योजना तैयार की जावेगी। श्री के.पी. अहिरवार, ज्वांइट डायरेक्टर, कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग, भोपाल (म.प्र.), डॉ. अजय रामटेके, डिप्टी डायरेक्टर, पशुपालन विभाग, भोपाल (म.प्र.), श्री अशोक श्रीवास्तव, प्रतिनिधि, मत्स्य पालन विभाग, भोपाल (म.प्र.), श्री सुदेश बाघमारे, से.नि. उप वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल (म.प्र.), श्री डी.पी. तिवारी, से.नि. उप वन संरक्षक, भोपाल (म.प्र.), श्रीमती माधुरी मोदक, से.नि. प्राध्यापक, (बॉटनी) भोपाल(म.प्र.) उपस्थित हुये।

कार्यक्रम में कृषि विभाग के श्री के.पी. अहिरवार, ज्वांइट डायरेक्टर, कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा कृषि की पारंपरिक प्रजातियों को पंजी में संधारित किये जाने हेतु अवगत कराया गया एवं मैदानी स्तर पर कृषि विभाग द्वारा पंजी निर्माण हेतु आयोजित बैठकों एवं डाटा संग्रहण कार्य में विभागीय सहयोग प्रदान करने हेतु संचलनालय से निर्देश जारी किये जावेगे। डॉ. अजय रामटेके, डिप्टी डायरेक्टर, पशुपालन विभाग, भोपाल द्वारा अवगत कराया गया की विभाग से सभी फील्ड ऑफिसर को पीबीआर निर्माण हेतु दिशा निर्देश जारी किया जावेगा। श्री डी.पी. तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का मुख्य कार्य पीबीआर का निर्माण करना है और इस कार्य में बोर्ड द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय का तकनीकी सहयोग प्रथम बार प्राप्त किया जा रहा है। अतः इस कार्य को निश्चित समय में उच्च तकनीक गुणवत्ता के साथ संपन्न किया जाना है। श्री सुदेश बाघमारे से.नि. अधिकारी, वन विभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि जैवविविधता संरक्षण हेतु जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 एवं इसकी उपधाराओं में जैवविविधता प्रबंधन समिति तथा पी.बी.आर. निर्माण का स्पष्ट रूप से प्रावधानिक है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जैवविविधता का संरक्षण किया जाना है। श्री अशोक श्रीवास्तव, प्रतिनिधि, मत्स्य पालन विभाग, के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा विभाग के मैदानी स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों का संपर्क डाटाबेस एवं मछलियों की प्रजातियों की सूची शीघ्र ही बोर्ड को उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके साथ ही विभाग के आदेश जारी कर दिये जावेगे।

प्रथम दिवस की चर्चा के आधार पर एवं बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये पीबीआर मेन्यूअल के संबंध में समूह में समूह चर्चा का आयोजन किया गया जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ (पीबीआर) के नेतृत्व में उनको आवंटित जिलो के प्रतिनिधियों का समूह बनाकर सामूहिक चर्चा की गई।

बोर्ड द्वारा दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2020 को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सभाकक्ष में पी.आई एवं को–पी.आई का द्वितीय दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निम्नानुसार विभागीय अधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं 09 जिलो के 12 जनपद के 19 पी.आई एंड को–पी.आई प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में डॉ. बकुल लाड (सहायक सदस्य सचिव, सी.एंड डी) द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण का आधार एवं निर्माण की प्रक्रिया को बतलाया गया। इसके उपरांत डॉ. एलिजाबेथ थॉमस, सहायक सदस्य सचिव (बायो.), द्वारा समस्त पी.आई. एवं को–पी.आई. मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली प्रजातियों एवं उनकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया। साथ ही इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को भी बतलाया गया। लोक जैवविविधता पंजी निर्माण के अंतर्गत जैवविविधता प्रबंधन समिति की भूमिका एवं स्थानीय निकाय स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2020 को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सभाकक्ष में पी.आई एवं को–पी. आई का द्वितीय दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

1.1.3 डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण–

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 के पालन में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकारण के दिशानिर्देश एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 17वीं बोर्ड बैठक के निर्णय अनुसार प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा सेकंडरी डाटा के आधार पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण (People's Biodiversity Register - PBR) का कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण किया गया है।

1.1.4 People's Biodivesity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति–

समिति को अवगत कराया गया कि जैवविविधता प्रबंधन समिति स्तर पर तैयार की गई लोक जैवविविधता पंजी की तकनीकी परीक्षण तथा गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है। इस हेतु राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर निम्नानुसार समितियों गठन किया गया है।

1. **राष्ट्रीय स्तर पर** – People's Biodivesity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति
1. **राज्य स्तर पर**– राज्य स्तरीय People's Biodivesity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति (मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में)
1. **राज्य स्तरीय उप समिति**– राज्य स्तरीय People's Biodivesity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति(सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में)
1. **बोर्ड स्तर पर**– People's Biodivesity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति (सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में)

लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु जैवविविधता के सहयोगी विभागों (मुख्यालय) द्वारा एवं मैदानी स्तर के निकायों द्वारा विभागीय सेकंडरी डाटा की जानकारी को बोर्ड को उपलब्ध कराई गई। स्थानीय निकायों एवं बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञो के संयुक्त प्रयासों से सेकंडरी डाटा की जानकारी को पीबीआर फॉर्मेट में डिजिटल रुप से संकलित कर सेकण्डरी डाटा के आधार पर डिजिटल एण्ड

डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य किया गया है। प्रदेश में तैयार की गई इन लोक जैवविविधता पंजी की गुणवत्ता परीक्षण हेतु समितियों का गठन किया गया है।

1.2 जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन-

मान. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.), नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चंद्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09.08.2019 एवं 18.03.2020 के परिपालन में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 व मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 08 जून 2020 द्वारा जारी आदेश अनुसार पंचायत स्तर (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत) एवं नगरीय एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2020 को जारी आदेशानुसार प्रदेश में समस्त निकाय स्तर पर शत-प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की अद्यतन स्थिति-

क्रमांक	स्थानीय निकाय	स्तर	स्थानीय निकाय की कुल संख्या	जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन की संख्या	लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की कुल संख्या
1	पंचायत स्तर	जिला पंचायत	52	52	52
		जनपद पंचायत	313	313	313
		ग्राम पंचायत	22814	22814	22814
		योग	**23179**	**23179**	**23179**
2	नगरीय निकाय	नगर निगम	16	16	16
		नगर पालिका	98	98	98
		नगर परिषद	264	264	264
		योग	**378**	**378**	**378**
		महायोग	**23557**	**23557**	**23557**

जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया है।

डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य हेतु बोर्ड में आयोजित बैठक में उपस्थित सहयोगी विभागों के प्रतिनिधिगण

2. शिक्षा एवं जागरुकता

2.1 वैद्यराजों का सम्मेलन-2019

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा वैद्यराज सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन दिनांक 8 एवं 9 जनवरी को फॉरेस्ट रेस्ट, हाउस चार इमली, भोपाल (म.प्र.) में **श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जै.वि.बोर्ड की अध्यक्षता** में किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के प्रत्येक जिलों के 80 वैद्य उपस्थिति हुए है। वैद्यराज सम्मेलन में डॉ. मनीष मिश्रा, वैज्ञानिक (आई.आई.एफ.एम.), भोपाल, डॉ. डी.पी. तिवारी (सेवानिवृत्त उप वनसंरक्षक) भोपाल, डॉ. इंद्राणी बृजपुजारी, वैज्ञानिक (एआईजीजीपीए) भोपाल विशेष आमंत्रित उपस्थित हुये।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड ारा आयोजित वै-राज सम्मेलन 2019 बैद्यराज प्रतिभागी

श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, सदस्य सचिव, म.प्र.राज्य.जै.वि.बोर्ड द्वारा जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के उद्देश्य, जैवसंसाधनों के उपयोग से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के महत्व के संबंध में अवगत कराया गया एवं जैवसंसाधन का संरक्षण और उनसे प्राप्त संसाधनों एवं उनके उचित उपयोग के संबध में जानकारी प्रदान की गयी।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा आयोजित बीजनायक सम्मेलन-2019 में उपस्थित बीजनायक प्रतिभागी

कार्यशाला में जैवसंसाधनो से उदभूत लाभ का प्रभाजन (ए.बी.एस.) एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति में गठन के संबंध मे अवगत कराया गया। इसके साथ ही जैवविविधता प्रबंधन समिति के गठन उपरांत लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी वैद्यराजों को वैद्यराजों को अवगत कराया गया। जैवविविधता प्रबंधन समिति एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में वैद्यराजों की सक्रिय भूमिका बतलाई गयी।

वैद्यराजों द्वारा जंगलों एवं अन्य जगहों से विलुप्त हो रही जड़ी-बूटियो के संबंध में आवश्यक रणनिति तैयार करने हेतु चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान वैद्यराजों द्वारा अवगत कराया गया कि के भूमि आवला, चिरायता, चकोरा, भटमैया, काली मूसली, क्योकंद, अमलतास, अनंतमूल, अपाराजिता, गुंजा, शंकरगुंडी, सतावरी, कलिहारी, अकौवा, कामराज, पीतासार इत्यादि जड़ी-बूटियाँ लगभग विलुप्त होने की कगार पर है इस कारण इनका संरक्षण अनिवार्य है।

2.2 ''बीज नायक सम्मेलन-2020''

कृषि प्रजातियों की पारंपरिक किस्मों के बीज बैंक एवं कृषकों के पी.पी.व्ही.एफ.आर.ए. में पंजीयन के संबंध में रणनीति तैयार

करने हेतु गठित कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 12.12.2019 को आयोजित की गई थीा जिसमें पारंपरिक किस्मों का संरक्षण कर रहे किसानों को ''बीज नायक'' के रूप में चिन्हित कर प्रदेश के बीज नायकों का सम्मेलन आयोजित करने हेतु निर्णय लिया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, द्वारा ''बीज नायक सम्मेलन-2020 का एक दिवसीय आयोजन दिनांक 04 फरवरी को पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) एप्को सभागार भोपाल (म.प्र.) में पद्म श्री बाबूलाल दाहिया की अध्यक्षता में की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यक्रम स्थल पर बीज नायकों द्वारा अपने साथ में लाये गये पांरपरिक बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई एवं बीजों का फोटो डाक्यूमेंटेशन भी किया गया। सम्मेलन में पारंपरिक देसी बीजों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु रणनीति पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में डॉ. एम. यासीन, प्रमुख वैज्ञानिक, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर (म.प्र.), डॉ. संजय वैशमपायन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.), डॉ जी. एस. कौशल, पूर्व संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, श्री सुधीर सिंह भदौरिया, सहायक प्राध्यापक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.), श्री अवनीश चतुर्वेदी, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, श्री राजेश चतुर्वेदी, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि प्रजातियों की पारंपरिक किस्मों के बीज बैंक एवं कृषकों के पी.पी.व्ही.एफ.आर.ए. में पंजीयन के संबंध में रणनीति के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

सदस्य सचिव श्री श्रीनिवास मूर्ति द्वारा कार्यशाला के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि प्रदेश में पारंपरिक बीज संरक्षण की प्रेरणा पदमश्री बाबूलाल दहिया और ग्राम पंचायत पिथौराबाद की जैवविविधता प्रबंधन समिति से मिली है। श्री दाहिया द्वारा परंपरागत देशी धान की लगभग 120 किस्मों का संरक्षण विगत एक दशक से किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में 200 किस्मों तक पहुंच गई है।

श्री बाबूलाल दहिया जी ने अपने संबोधन में बीज संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किये गये कार्यों के संदर्भ में बताया कि प्रारंभ में उनके पास केवल 110 प्रकार की देशी बीज की किस्में थी। उसके पश्चात बोर्ड के सहयोग से जब प्रदेश के 40 जिलों की बीज यात्रा का आयोजन किया गया तो करीब 80-90 और धान की किस्में प्राप्त हुई। जिसे पिथोराबाद में संरक्षित करना प्रारंभ किया गया।

2.3 अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस- 2020

संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को जैवविविधता क मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) की घोषणा की गई। (www.cbd.int/idb) विश्व भर में 22 मई, 2020 को अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) मनाया गया। पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव व वनस्पति उपलब्ध है। इन सबकी विशेषता व आवास भिन्न (विविध) है, फिर भी यह आपस में प्राकृतिक कड़ियों से जुड़े है। हम इसे वैश्विक जैवविविधता मान सकते है। मानव के कारण पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण इनकी कड़ियां टूट रही है, जो कि चिंता का विषय है। सभी प्रकार के तकनीकी विकास होने के बावजूद भी मनुष्य कहीं न कहीं अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे- जल, खाद्य, औषधी, कपड़ा, मकान उर्जा इत्यादि हेतु प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस-2020 का विषय ''हमारे समाधान प्रकृति में है'' (Our solutions are in nature) है, जिसका मुख्य उद्देश्य: प्रकृति और मनुष्य के बीच एक आशा एवं एकजुटता पर बल देता है साथ ही यह भविष्य में प्रकृति के साथ सभी स्तर पर तालमेल के महत्व को भी दर्शाता है (To build a future of life in harmony with nature) माना जा रहा है कि वर्ष 2020 अवसरों एवं समाधानों का वर्ष है। यह वर्ष मानव कल्याण के लिये एवं इस पृथ्वी पर सभी प्रकार की जैवविविधता को नुकसान से बचाने हेतु दुनिया का वैश्विक ढांचा पहले से कहीं अधिक एवं मजबूत होने के संकेत प्रदान करेगा।

2.3.1 ऑनलाईन निबन्ध प्रतियोगिता-

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा विश्वभर में चल रहे कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस-2020 को मनाने हेतु मात्र ऑनलाईन अभियान के माध्यम से इस दिवस को स्मरण किया गया। इस वर्ष सी.बी.

डी. (Convention on Biological Diversity-CBD) द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस– 2020 की विषय–वस्तु के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ''कोविड–19 : जैवविविधता संरक्षण– हमारे समाधान प्रकृति में है'' "COVID19: Biodiversity Conservation - Our Solutions are in Nature" विषय पर ऑनलाईन निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश में कार्यक्रम में प्रतिभागियो द्वारा निम्नानुसार पंजीयन किया गया।

श्रेणी		पंजीयन (संख्या)	निबंध लेखन (संख्या)		
			हिन्दी	अंग्रेजी	योग
1	स्कूल के विद्यार्थी (कक्षा 8 से 12 तक)	455	93	96	189
2	कालेज के विद्यार्थी (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)	386	82	106	188
3	अन्य जनसामान्य (उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, जिसमें शासकीय सेवक भी सम्मिलित है।)	273	110	50	160
	कुल योग–	1114	285	252	537

अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (22 मई 2020) के अवसर पर प्रदेश में जैवविविधता जागरुकता हेतु बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्लेटफॉम के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता (हिन्दी व अंग्रेजी) का आयोजन के उत्साहजनक व सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये है। प्रतियोगिता के आयोजन में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यालयीन विद्यार्थी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी (महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय), अन्य सामान्य जन (उपरोक्त दो श्रेणीयों के अतिरिक्त) की श्रेणीयॉ में प्रतियोगिता का हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा में विजेताओं को पृथक–पृथक पुरुस्कार प्रदान किये गये। प्रत्येक प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

प्रतियोगिता के विजेताओं का विवरण

क्र.	श्रेणी	माध्यम(भाषा)	क्र.	विजेता का नाम	स्थान	पुरस्कार राशि (रूपये)
01.	**स्कूल के विद्यार्थी** (कक्षा 8 से 12 तक)	हिन्दी	1.	डिंकी कोठारे, शा. कन्या हा.से.स्कूल, लांजी, बालाघाट	प्रथम	2,500/–
			2.	निशांत कुमार जैन, नवदीप हा.से. स्कूल, अमरवाड़ा, छिन्दवाड़ा	द्वितीय	1,500/–
			3.	हर्ष विनायक परमार, मानस कान्वेन्ट हा.से. स्कूल, राजगढ़, धार	तृतीय	1,000/–
		अंग्रेजी	1.	सर्वज्ञ जैन, सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, बैतूल	प्रथम	2,500/–
			2.	रिजूल जैन, निर्मल पब्लिक स्कूल, नागपुर रोड, शिकारपुर, छिन्दवाड़ा	द्वितीय	1,500/–
			3.	एस. जयेन्द्र अय्यर, ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम हा.से. स्कूल, नैनपुर, मण्डला	तृतीय	1,000/–

02.	**कॉलेज के विद्यार्थी** (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)	हिन्दी	1.	श्री रमाकान्त शाह, एम.पी. भोज ओपन विवि., भोपाल	प्रथम	5,000/-
			2.	प्रियंका साहू, शास.एम.के.बी. महिला महाविद्यालय, जबलपुर	द्वितीय	3,000/-
			3.	शिखा सनोडिया, आर.जी.पी.व्ही. विवि, भोपाल	तृतीय	2,000/-
		अंग्रेजी	1.	आदित्य मण्डलोई, आई.आई.एफ.एम., भोपाल	प्रथम	5,000/-
			2.	फरहीन कुरैशी, शास.पी.जी. कॉलेज भैरोगंज, सिवनी	द्वितीय	3,000/-
			3.	नील गड़िकर, श्री गोविन्दराम सेकसरिया इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्दौर	तृतीय	2,000/-
03	**अन्य जन सामान्य** (उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, जिसमें शासकीय सेवक भी सम्मिलित है।)	हिन्दी	1.	डॉ. वीणा सत्या, शहीद भीमानायक, शास. पी.जी. कॉलेज, बड़वानी	प्रथम	5,000/-
			2.	अजय कुमार पटेल, डी-58 ओनेक्स पैलेस, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल	द्वितीय	3,000/-
			3.	पुष्पलता सक्सेना, 744, विकास नगर, 14/2, विस्तार, नीमच	तृतीय	2,000/-
		अंग्रेजी	1.	डॉ.अर्चना शुक्ला, शास. उत्कृष्ट विद्यालय, वेंकटवन, सतना	प्रथम	5,000/-
			2.	श्री प्रशांत कुमार शकारे, मकान नम्बर 1289/ए, आदर्श स्कूल के पीछे, अधारताल, जबलपुर	द्वितीय	3,000/-
			3.	श्री बृजेश कुमार पटेल, ग्राम जरौशी, पोस्ट-खड्डा, तहसील ब्यौरी, शहडोल	तृतीय	2,000/-

2.4 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज, 2020

मानव कल्याण के लिए जैवविविधता संरक्षण की अनिवार्यता की ओर ध्यान आकर्षण व जागरूकता लाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों एवं शिक्षक समुदाय हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड व लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश व्यापी जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज, का प्रथम आयोजन 2019 किया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य एवं राज्य जैवविविधता लक्ष्य - 1 ''2020 तक देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विशेष रूप से युवा जैवविविधता के मूल्यों को जाने और जैवविविधता के संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग के लिये आवश्यक कदम उठाये'' (By 2020 a significant portion of the country's population especially the youth, is aware of the values of biodiversity and the steps they can take to conserve and use it sustainably) के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रारंभ किया गया है।

प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड द्वारा इस वर्ष **मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज-2020** का आयोजन ऑनलाईन माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 2020 को औपचारिक शुभारंभ किया जायेगा। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में और राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में (वन्य प्राणी सप्ताह में) किया जाना प्रस्तावित है।

बुक पोस्ट

प्रति,

प्रेषक –

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
प्रथम तल, किसान भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (मध्यप्रदेश)
फोन: 0755-2554539, 2764911, 2554549 ● फैक्स : 91-755-2764912
ई-मेल : mpsbb@mp.gov.in ● वेबसाइट : www.mpsbb.nic.in

संरक्षक

आर. श्रीनिवास मूर्ति
सदस्य सचिव

संपादक मण्डल

डॉ. बकुल लाड
सहायक सदस्य सचिव
(सी.एण्ड.डी)

डॉ. एलिजाबेथ थॉमस
सहायक सदस्य सचिव
प्रबंधक (प्रोजेक्ट)

शिवप्रताप सिंह बघेल
सहायक सदस्य सचिव
(प्रशा./वित्त)

मध्यप्रदेश माध्यम/2020
सुपर प्रिन्टर्स, भोपाल